संख्याः—ई0डी0एन0—एच(प्रा0)(4)4—46 / 2011
प्रारम्भिक शिक्षा निदशालय,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला —171001 दिसम्बर, 2011

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवम् लोक सर्म्पक विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला—171002.

fo"k;%& fu%'kqYd vkSj vfuok;Z cky f'k{kk dk vf/kdkj ¼fg0 iz0½ fu;e 2011 ds vUrxZr fufZt fo|ky;ksa dh ekU;rk gsrq vkosnu izfdz;k

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि सलग्न विज्ञप्ति / सूचना को प्रदेष के प्रमुख समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाषित करने की कृपा करें।

lyXu%& ;Fkksifj

Hkonh;]

funs'kd

पृष्ठाकनः समसख्यक दिनांक— षिमला—171001 दिसम्बर,2011
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवष्यक कार्यवाही हेतुः—

1. समस्त उप निदेषक प्रारम्भिक षिक्षा हिमाचल प्रदेष।
2. समस्त खण्ड प्रारम्भिक षिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेष।

funs'kd

Lk[;k% b0Mh0,u0&,p¼ik0½ ¼4½ 4&46@2011
ikjfEHkd f'k{kk foHkkx fgekpy ins'k A

fu%'kqYd vkj vfuok;l cky f'k{kk dk vf/kdkj ¼fg0 i0½ fu;e 2011 d
vUrxr fuft fo|ky;ka dh ekU;rk grq vkonu ifdz;kA

सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधन/ मुख्याध्यापकों / प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और 19 तथा निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार (हिमाचल प्रदेष) नियम, 2011 की धारा 9 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजि विद्यालयों को प्रारम्भिक षिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अति आवष्यक है।

- मान्यता सम्बन्धी मानकों के पूर्ण किए जाने सम्बन्धी स्व घोषणा एवम आवेदन पत्र 31.01.2012 से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी खण्ड़ प्रारम्भिक षिक्षा अधिकारी / उप निदेषक प्रारम्भिक षिक्षा के समक्ष निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेष, नियम 2011 की धारा–9 के अर्न्तगत प्रस्तुत करना होगा।

- मान्यता प्राप्ति हेतु निर्धारित स्वधोषणा एवम् आवेदन प्रपत्र निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेष, नियम 2011 में उपलब्ध है जिसे आप सम्बन्धित जिला के उप निदेषक प्रारम्भिक षिक्षा अथवा खण्ड़ प्रारम्भिक षिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेष, नियम 2011 विभाग की निम्न वैबसाईटस पर भी उपलब्ध है जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है।

  1. www.himachal.nic.in/eleedu.

  2. **www.hp.gov.in/ssa**

- यदि पाठषाला में एक से पॉच तक की कक्षाएं हैं तो सम्बन्धित खंड प्रारम्भिक षिक्षा अधिकारी के समक्ष मान्यता सम्बन्धी स्व घोषणा पत्र / मान्यता हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- यदि कक्षाएं एक से आठ अथवा छः से आठ तक हों तो उस स्थिति में सम्बन्धित जिला के उप षिक्षा निदेषक, प्रारंभिक षिक्षा को स्व घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण एवं मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित शुल्क कक्षा I-V और VI-VIII के लिए पांच हजार रूपए तथा कक्षा I-VIII के लिए दस हजार रूपए है, जिसे सरकारी कोष में शीर्ष 0202–षिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति 01 सामान्य षिक्षा, 101 प्रारम्भिक षिक्षा, 05– निजी प्रबंधन संस्थानों से प्राप्त फीस में चालान के माध्यम से जमा करना होगा तथा शुल्क की रसीद स्व घोषणा / आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। मान्यता की अवधि पॉच वर्ष होगी।
- षिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा –2 (एन0) उपखंड (ii) तथा (iv) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबंधक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व–घोषणा पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। मान्यता के नवीनीकरण हेतु पांच सौ रूपए का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा।

ukV%& षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18(5) के अनुसार कोई भी निजी विद्यालय जो मान्यता प्राप्ति के बिना कार्य करता है, अथवा मान्यता अस्वीकृत किये जाने के बावजूद भी कार्यरत रहता है, तो ऐसे विद्यालय को पहली बार की ऐसी गतिविधि के लिए एक लाख रू0 तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यदि फिर भी मान्यता प्राप्त किये बिना कोई ऐसा विद्यालय कार्य करता रहता है तो उसे एक लाख रू के साथ साथ दस हजार रूपये प्रतिदिन जुर्माने की दर से दण्डित किया जा सकता है।

f'keyk
fnukad%27&12&2011

funs'kd (ikjfEHkd f'k{kk)
fg0 iz0 f'keyk &1